## न्यायलाय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 108/2018 निर्णय दिनांकः २१.१.२०२१

ऑनलाइर्न नम्बर 2018/00093

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीडूंगरगढ़

–वादी–

बनाम

1. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी श्री प्रभुराम जाति जाट निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. विजय कुमार पुत्र गोविन्दराम जाति प्रजापत निवासी राजलदेसर

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–

1. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से
2. श्री जगदीश प्रसाद बाना अभिभाषक प्रतिवादीगण

**<u>वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>**

यह वाद पैराकार स्टेट की तरफ से पेश कर निवेदन किया गया कि ग्राम श्रीडूंगरगढ़ में स्थित खसरा नम्बर 948 तादादी 0.0400 हैक्टेयर प्रतिवादी के नाम खातेदारी कषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह कि रिपोर्ट पटवारी हल्का श्रीडूंगरगढ़ के मुताबिक विवादित भूमि प्रतिवादी ने बिना सक्ष्मा स्वीकृति व बिना भूमि का रूपान्तरण करवाये मोबाईल टॉर एयरटेल का निर्माण किया गया है जो कि काश्ताकारी अधिनियम के खिलाफ है। यह कि प्रतिवादी द्वारा कृषि भूमि पर अवैद्य रूप से मोबाईल टॉवर एयरटेल लगाये जाने के कारण कृषि भूमि को अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 177 के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के लिए वाद प्रस्तुत यिका जा रहा है। प्रतिवादी को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 05.07.11, 25.01.12, 29.08.12, 16.08.13, 09.02.15 को नोटिस जारी कर अवैध रू॰ से लगाये गये एयरटेल मोबाईल टावर/टावरों को हटाने व कृषि भूमि का रूपान्तरण करवाने हेतु बार–बार लिखा गया लेकिन बाद गुजरने मियाद भी प्रतिवादी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं की और ना ही अवैध टॉवर को हटाया है ना ही रूपान्तरण करवाया है। प्रतिवादी द्वारा किया गया उक्त कृत्य [illegible] काश्ताकारी अधिनियम 1955 की शर्तो के उल्लंघन [illegible] है। जिसका खातेदार को किसी भी प्रकार से हक [illegible] ना ही अधिकार प्राप्त है। खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में किसी [illegible] प्रकार से नेचर परिव[illegible] नहीं कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः वाद प्रस्तुत कर निवदेन किया है कि ग्राम श्रीडूंगरगढ़ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित खातेदारी खेत खं.नं. 948 तादादी 0.0400 हैक्टेयर में से 235.00 वर्ग मीटर हैक्टेयर/वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें तथा खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने हेतु आदेश फरमावें अन्य कोई अनुतोष जो वादी के पक्ष में उचित हो फरमावें जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है प्रतिवादी अधिवक्ता ने दिनांक 19.02.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी.) दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वादी अधिवक्ता (पैरोकार राज) को दिलायी गयी एवं जवाब हेतु पत्रावली नियत की गयी। वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रसतुत किया गया जो मामले के अभिलेख पर लिया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता का तर्क रहा कि प्रतिवादिनी को सक्षम प्रधिकारी द्वारा उक्त ख.न. 948 ता. 0.0400 हैक्टेयर वाकेरोही श्रीडूंगरगढ़ भूमि का संपरिवर्तन करवाकर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नोटिस प्राप्ति के दिन से 10 दिनों के अवधि के भीतर प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया जो नोटिस प्रतिवादिनी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05.07.2011 को जारी किया गया जो प्रतिवादि का दिनांक 18.07.2011 को तामिल हो चुका। मुताबिक नोटिस निर्देश प्रतिवादिनी को उसकी पालना कर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 18.07.20211 तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए था लेकिन प्रतिवादिया जिसकी पालना करने में विफल रही अत कानून की निगाह में उक्त दावे में वाद हेतुक विरूद्ध प्रतिवादिनी दिनांक 18.07.2011 को उत्पन्न हो गया अतः वादी को हस्तगत दावा सक्षम न्यायालय के समक्ष न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनूसूची के क्रम सं. 67 के अनुसार विहित मर्यादा अवधि वाद हेतुक उत्पन्न होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था अर्थात् वादी को उक्त धारा के अन्तर्गत दावा न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.07.2014 तक प्रस्तुत कर देना चाहिए था । इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता पैरोकार राज ने इस तथ्य को अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया कि वादी द्वारा हस्तगत दावा दिनांक 30.08.2018 को प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अभिलेख के अनुसार यह स्वीक्रत तथ्य है कि वादी द्वारा हस्तगत दावा न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2018 को प्रस्तुत किया गया जो विधि के आबद्धकारी प्रावधानों के उल्लघंन में प्रस्तुत किया गया है। वादी को वाद हेतुक उत्पन्न होने के दिन से विधिनुसार तीन वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए इसलिए हस्तगत दावा विहित मर्यादा अवधि के अवसान के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जो कानून की निगाह में दावा कोई महत्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

नहीं रखता है इस प्रकार प्रतिवादिनी की हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हस्तगत राजस्व वाद को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.9.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

दिव्या
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:13:56 IST
Reason: SelfAttested